

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 24, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2017/38-2 (पार्ट-1). — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/12083, दिनांक 01-07-2020 द्वारा ओ.पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03 एवं 06 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।
- उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

प्रथम अध्यादेश में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक: 03, कंडिका क्रमांक-02 उप कंडिका-03 पाठ्यक्रम- बैचेलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.)	
विद्यमान	संस्तुत
जो अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा यांत्रिकी/तकनीकी संबंधित निकाय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तकनीकी शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय में तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष चार वर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश हेतु योग्यता रखते हों। उससे अपेक्षा है कि वह पंचम सेमेस्टर के प्रवेश पूर्व बी.टेक. प्रथम वर्ष के भौतिकी, रसायन, गणित विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करें। यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. के मार्गदर्शन अनुसार इसे क्रियान्वन किया जायेगा।	जो अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधित यांत्रिकी/तकनीकी निकाय में मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण की हो, वे तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष चार वर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश हेतु योग्यता रखते हैं। उससे अपेक्षा है कि वह पंचम सेमेस्टर के प्रवेश पूर्व बी.टेक. प्रथम वर्ष के भौतिकी, रसायन, गणित विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करें। यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. के मार्गदर्शन अनुसार इसे क्रियान्वन किया जायेगा।
अध्यादेश क्रमांक: 06, कंडिका क्रमांक-07 पाठ्यक्रम- बैचेलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए)	
किसी विद्यार्थी को बैकलॉग सैद्धांतिक/प्रायोगिक पूर्व सेमेस्टर में होने से अन्य बैकलॉग (n-2) सेमेस्टर में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जहां n वर्तमान सेमेस्टर जिसमें विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है। उदाहरण के लिये यदि कोई विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहता है परंतु कोई सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषयो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं होगा।	विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले वर्ष में प्रवेश ले सकता है परंतु वह बैकलॉग (n-2) वर्ष का नहीं होना चाहिये। यहां n चालू वर्ष को दर्शाता है जिसमें विद्यार्थी को प्रवेश लेना है। उदाहरण के लिये यदि कोई विद्यार्थी तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है उसके प्रथम वर्ष के समस्त सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय उत्तीर्ण होना चाहिये।

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 3-7/2017/38-2 (पार्ट-1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2020

NOTIFICATION

No. F 3-7/2017/38-2 (Part-1). — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/PU/07/O&S/2015/12083, Dated 01-07-2020 has approved the amended Ordinance No. 03 and 06 of O.P. Jindal University, O.P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.
3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D., Secretary.

AMENDMENT IN FIRST ORDINANCES

Ordinance No. -03, Clause No: 02 Sub Clause: 03 Program : Bachelor of Technology (B Tech)	
Existing	Substituted by
Candidates who have passed the diploma course examination in appropriate branch of engineering/technology in the first division from a recognized board of technical education/University shall be eligible for admission to the third semester (second year of 4 Year Degree Course). Such candidates shall be required to pass the subjects of Physics, Chemistry and Mathematics of B. Tech first year before admission to V th Semester. This shall be subject to guideline, if any, by UGC and AICTE.	Candidates who have passed the diploma course examination in appropriate branch of engineering/technology with minimum 50 % marks from a recognized board of technical education/University shall be eligible for admission to the third semester (second year of 4 Year Degree Course). Such candidates shall be required to pass the subjects of Physics, Chemistry and Mathematics of B. Tech first year before admission to V th Semester. This shall be subject to guideline, if any, by UGC and AICTE.
Ordinance No. -06 Clause No: 07 Program : Bachelor of Business Administration (BBA)	
A student shall be allowed to carry the backlog of subjects of the preceding semester but shall not be permitted to carry; any backlog of (n-2) semester where n is current semester in which the student is to take the admission. For example a student seeking admission in 3 rd semester should not carry any backlog of 1 st Semester.	A student shall be allowed to carry the backlog of subjects of the preceding semester but shall not be permitted to carry; any backlog of (n-2) year where n is current year in which the student is to take the admission. For example a student seeking admission in 3 rd year should not carry any backlog of 1 st year.